9

समुद्री सुरक्षा

जल-जीवन का मुख्य स्त्रोत है। यद्यपि पृथ्वी का एक बड़ा भाग जल है लेकिन जल की भौगोलिक स्थिति और इसमें निहित संसाधन ही इसको महत्वपूर्ण बनाते हैं। हम जल को सागरों और समुद्रों में वर्गीकृत कर सकते हैं। सागर, खारे पानी की एक बहुत बड़ी इकाई है जबकि समुद्र भी पानी की इकाई हैं। वे आपस में जुड़े हुए भी हो सकते हैं और विलग भी हो सकते हैं। अधिकांश समुद्र पूरी तरह से अथवा आंशिक रुप से भूमि से घिरे हुए हैं।

आज तक हम सागरों के कुल क्षेत्र के केवल 5 प्रतिशत को ही जान पाए हैं। वर्तमान में देशों का आर्थिक विकास सागरों पर निर्भर करता है क्योंकि इन बड़ी जल इकाईयों के माध्यम से व्यापार किया जाता है तथा विभिन्न प्रकार के उत्पादों एवं तेल का आयात-निर्यात होता है।

अत: इस प्रकार की गतिविधियों की सुरक्षा को समुद्री सुरक्षा कहा जाता है। इसके महत्व के अनुरूप सभी देश समुद्री मार्गों की सुरक्षा को अपनी अर्थ व्यवस्था, सीमाओं तथा व्यापारिक मार्गों की रक्षा के लिए तथा अपनी शक्ति प्रदर्शित करने की दृष्टि से अत्यधिक महत्व देते हैं।

उद्देश्य

इस पाठ का अध्ययन करने के बाद, आप :

- अपने देश की समुद्री रक्षा के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या कर सकेंगे;
- भारत के लिए समुद्री रक्षा के महत्व का आकलन और व्याख्या कर सकेंगे;
- समुद्री सुरक्षा से जुड़ी भारत की विभिन्न एजेन्सियों को जान सकेंगे।

9.1 समुद्री सुरक्षा

समुद्री सुरक्षा में सागरों और समुद्रों से उत्पन्न होने वाले खतरों से राष्ट्र की संप्रभुता को बचाना शामिल होता है। इसमें तटीय क्षेत्रों की रक्षा करना, सागरीय संसाधनों जैसे मछलियों, कच्चे तेल और गैस के कुओं की रक्षा करना तथा बन्दरगाह की सुविधाओं की रक्षा करना शामिल होता है। इसका अभिप्राय समुद्र में अपने जलयानों के आवागमन की स्वतंत्रता एवं व्यापार की सुविधा एवं सुरक्षा को बनाए रखना भी होता है। समुद्री सुरक्षा के तत्व निम्नलिखित हैं-

- अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा
- समुद्री संचार के मार्गों की रक्षा
- संप्रभुता, क्षेत्रीय एकता और राजनीतिक स्वतंत्रता
- समुद्री अपराधों से बचाव
- समुद्री संसाधनों तक पहुंचना और उनकी रक्षा करना
- समुद्र में आने-जाने वालों तथा मछुआरों की सुरक्षा
- पर्यावरणीय सुरक्षा

जैसे हमें भू-सीमाओं पर खतरे होते हैं वैसे ही समुद्रों और सागरों में भी खतरे होते हैं। ये खतरे इस प्रकार के हैं-

समुद्री खतरे-

- गैर कानूनी ढंग से समुद्रों में आना-जाना/आतंकवाद
- प्राकृतिक संसाधनों का गैर कानूनी ढंग से प्रयोग/शोषण करना
- रक्षित क्षेत्रों में गैर कानूनी गतिविधियाँ
- समुद्री प्रदूषण
- प्रतिबंधित आयात-निर्यात (तस्करी)
- जैविक सुरक्षा का उल्लंघन
- समुद्रों में चोरी-डकैती और हिंसा
- समुद्री आतंकवाद

पाठगत प्रश्न 9.1

1. समुद्री सुरक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
2. तीन समुद्री खतरों के नाम लिखिए।
3. समुद्री सुरक्षा के तीन तत्वों का उल्लेख कीजिए।

9.1.1 समुद्री क्षेत्र

ऐसे राज्य जिनकी समुद्र तक पहुँच होती है, उन्हें तटीय राज्य कहा जाता है। भारत एक प्रायद्वीप है क्योंकि इसके तीन ओर विशाल समुद्री मार्ग हैं। ऐसे राज्यों को अपने इर्द गिर्द के सभी समुद्री मार्गों का विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रयोग करने का संप्रभु अधिकार होता है।

उद्देश्य

- आर्थिक उद्देश्यों हेतु समुद्री सतह में छिपे सभी प्राकृतिक संसाधनों को खोजना, प्रयोग करना तथा प्रबन्धन करना
- समुद्री वैज्ञानिक शोध के लिए कृत्रिम द्वीपों, ढांचों और उपकरणों के प्रयोग पर अधिकार रखना

अंतरराष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत समुद्री क्षेत्र में आन्तरिक समुद्र, क्षेत्रीय समुद्र, निकट का जुड़ा हुआ क्षेत्र, विशुद्ध आर्थिक क्षेत्र, महाद्वीपीय शेल्फ और महासागर शामिल होते हैं।

आइए, हम संक्षेप में उनके बारे में जानें-

- **आन्तरिक समुद्र :** आधार रेखा से भूमि की ओर की जलनिधि को आन्तरिक समुद्र कहते हैं जिससे क्षेत्रीय समुद्र की सीमा को मापा जाता है। राज्यों को अपने आन्तरिक समुद्रों पर पूरी संप्रभुता प्राप्त होती है। आन्तरिक समुद्र को भू क्षेत्र का एक अंग माना जाता है।
- **क्षेत्रीय समुद्र :** राज्य अपनी आधार रेखा से 12 नॉटीकल मील के क्षेत्र पर दावा कर सकते हैं। तटीय राज्य को क्षेत्रीय समुद्र तथा इस के उपर के वायु क्षेत्र और समुद्री सतह एवं इसके नीचे के गर्भ पर पूरा अधिकार प्राप्त होता है।
- **सन्निहित क्षेत्र :** प्रत्येक तटीय राज्य सन्निहित क्षेत्र पर दावा कर सकता है। यह क्षेत्रीय समुद्र से परे होता है और अपनी आधार रेखा से 24 नॉटीकल मील तक फैला हुआ होता है। इस क्षेत्र में तटीय राज्य कस्टम, वित्तीय, आप्रावास और स्वच्छता कानूनों को लागू कर सकता है।

क्या आप जानते हैं

नॉटीकल मील समुद्र अथवा हवा में दूरी मापने की एक इकाई है। एक नॉटीकल मील 1852 मीटर अथवा 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है।

- **विशुद्ध आर्थिक क्षेत्र :** तटीय राज्य अपने क्षेत्रीय समुद्र से परे और उससे जुड़े हुए भाग पर विशुद्ध आर्थिक क्षेत्र का दावा कर सकते हैं जो उसकी आधार सीमा से 200 नॉटीकल मील तक अथवा किसी अन्य तटीय राज्य की सीमा तक फैला हुआ होता है। आप समुद्री क्षेत्र का भौगोलिक चित्रण नीचे देख सकते हैं।
- **महासागर :** महासागर किनारे से 200 नॉटीकल मील की दूरी से परे होता है और यह सभी देशों के लिए मुक्त रुप से खुला होता है। महासागर का कोई देश किसी अन्य देश द्वारा उपयोग करने पर कोई कार्यवाई अथवा हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कानून केवल छः क्षेत्रों में गतिविधि करने की स्वतंत्रता देता है :- आवागमन, ऊपर से उडान भरना, केबल्स अथवा पाईप लाईन डालना, कृत्रिम द्वीप बनाना तथा उपकरण लगाना, मछली पकड़ना, वैज्ञानिक समुद्री शोध करना।

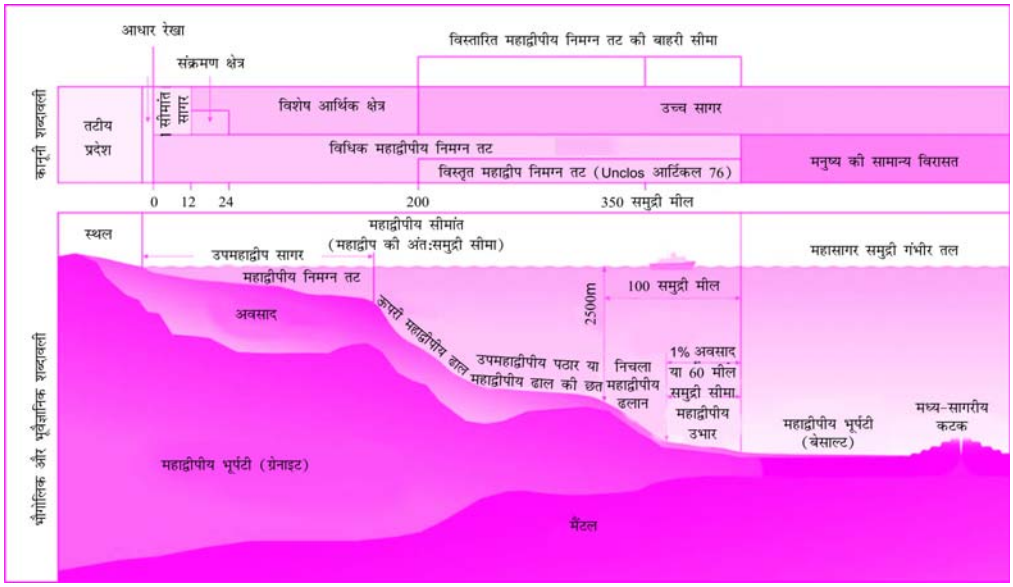

पाठगत प्रश्न 9.2

1. समुद्री कानून की व्याख्या कीजिए।
2. समुद्री क्षेत्रों का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
3. किसी तटीय राज्य के अधिकारों का वर्णन कीजिए।
4. महासागर की व्याख्या कीजिए।

9.2 भारत के लिए समुद्री सुरक्षा का महत्व

समुद्री रक्षा का भारत की अर्थ व्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत का अधिकाँश व्यापार और ऊर्जा की आपूर्ति भारत के समुद्री क्षेत्र से होती है। ऐसा अनुमान है कि भारत का अधिकांश व्यापार समुद्र के माध्यम से होता है। अत: समुद्री सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त भारत की भौगोलिक स्थिति भी भारत के नीति निर्माताओं के लिए चिन्ता का विषय है।

भारत का समुद्री तट 7517 किलोमीटर लम्बा है। इसमें 5422 किलोमीटर मुख्य भूखण्ड के साथ जुड़ा है। अण्डमान और निकोबार का समुद्री तट 1962 किलोमीटर तथा लक्षद्वीप का समुद्री तट 132 किलोमीटर है। इतनी बड़ी तटीय लम्बाई अनेक प्रकार की सुरक्षा चुनौतियाँ प्रस्तुत करती है जैसे चोरी, अवैध हथियारों और विस्फोटकों को तट पर उतारना, घुसपैठ, समुद्र और समुद्री किनारों का आपराधिक गतिविधियों के लिए प्रयोग, ड्रग्स और मानव व्यापार तथा तस्करी इत्यादि। तटों पर भौतिक बाधाओं के न होने के कारण तथा तटों पर बन्दरगाहों जैसे बड़े उद्योगों और रक्षा उपकरणों की स्थापना जैसे राडार और न्यूक्लियर रिएकटरों के कारण से खतरा बढ़ जाता है तथा समुद्री क्षेत्र की रक्षा की ज़रूरत भी बढ़ जाती है। इसके साथ ही सागर के संसाधनों को चिरजीवी ढंग से रक्षित करने की आवश्यकता है। देश की तटीय सीमा के साथ

देश के विभिन्न भागों पर स्थित बन्दरगाहों का प्रयोग करके व्यापार के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं को देश के भू-भाग पर लाया जाता है। आइए हम इसके बारे में जानें।

9.2.1 भारत में बन्दरगाह

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि भारत के व्यापार का एक बड़ा भाग सागरों के माध्यम से होता है। भारत 14 तटीय आर्थिक क्षेत्र निर्मित करने की योजना बना रहा है। वर्तमान में भारत में 12 बड़े बन्दरगाह हैं तथा 200 छोटे और मध्यम बन्दरगाह हैं। भारत की 12 बड़े बन्दरगाह भारत के पश्चिमी और पूर्वी तट पर फैले हुए हैं।

यह बन्दरगाह निम्न स्थानों पर स्थित हैं-

- चेन्नई
- एनोर
- जे.एन.पी.टी.
- कोच्चि
- कोलकता
- मंगलूर
- मारमुगाओ
- तूतीकोरिन
- विशाखापतनम्

क्रियाकलाप 9.1

9.2.1 में उल्लिखित सभी मुख्य बन्दरगाहों को भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर अंकित कीजिए।

क्या आप जानते हैं

सागर माला

सागर माला, भारत सरकार द्वारा बन्दरगाहों को आधुनिक और तटीय आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की एक पहल है। इसमें तटीय सामुदायिक विकास के लिए कौशल विकास तथा मछली पालन और तटीय पर्यटन जैसे गतिविधियों से आजीविका पैदा करना भी शामिल है।

भारत के भिन्न भागों में अधिसूचित 200 बन्दरगाहों की सूची नीचे दी गई है-

क्रमांक	राज्य	बन्दगाहों की संख्या
1.	महाराष्ट्र	48
2.	गुजरात	42
3.	केरल	17
4.	तमिलनाडु	15
5.	कर्नाटक	10
6.	ओडिसा	13
7.	आन्ध्र प्रदेश	12
8.	गोवा	5
9.	लक्षद्वीप	10
10.	दमन और दियु	02
11.	पुद्देचेरी	02
12.	अण्डमान और निकोबार	23

नीली अर्थव्यवस्था

सागर न केवल वस्तुओं और सेवाओं को लाने ले जाने में हमारी सहायता करते हैं अपितु मछलियों के अतिरिक्त तेल और प्राकृतिक गैसों जैसे खनिज संसाधनों को प्रयोग करने में भी हमें सक्षम बनाते हैं। विश्व में 380 लाख लोग सागरों से मछलियां पकड़ने के काम पर निर्भर हैं। अत: सागर लोगों के लिए अनेकानेक आर्थिक अवसर भी प्रदान करते हैं। नीली अर्थ व्यवस्था तटीय समुदाय के लोगों की आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए सागर के संसाधनों का सम्पोषणीय ढंग से प्रयोग करने में सहायता करती है।

पाठगत प्रश्न 9.3

1. भारत के लिए समुद्री सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? स्पष्ट कीजिए।
2. 'नीली अर्थव्यवस्था' का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
3. भारत में स्थित किन्हीं पांच बड़े बन्दरगाहों के नाम लिखिए।
4. 'सागर माला' शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए।

9.2.2 समुद्री सीमाओं का रणनीतिक महत्व

भारत का सागरीय क्षेत्र भारत के लिए अत्यधिक रणनीतिक महत्व रखता है। देश का

अधिकांश तेल और गैस समुद्र के माध्यम से ही आयात किया जाता है। समुद्री क्षेत्र के इर्द-गिर्द के देशों के साथ भारत के व्यापार में निरन्तर वृद्धि हो रही है। समुद्री मार्गों के अतिरिक्त भारतीय सागर विश्व में रणनीतिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं क्योंकि विश्व के सागर जनित तेल के व्यापार का 80% से अधिक भारत के हिन्द महासागर के चोक प्वाँइन्ट्स के माध्यम से होता है- 40% स्ट्रेट आफ हार्मज़ के माध्यम से 35% स्ट्रेट आफ मलक्का और 8% बाब-एल-मन्दब स्ट्रेट के माध्यम से होता है।

क्या आप जानते हैं

चोक प्वाँइन्ट दो चौड़े और महत्वपूर्ण नौगम्य (नेवीगेबल) मार्गों के साथ एक प्राकृतिक तंग स्थान को कहते हैं। समुद्री चोक प्वाँइन्ट्स जहाजों के प्राकृतिक तंग मार्ग होते हैं जहां रणनीतिक दृष्टि से काफी यातायात होता है तथा इन्हें नौसेना द्वारा बन्द किया जा सकता है। विश्व के सशस्त्र संघर्षों के आधे से अधिक की अवस्थिति वर्तमान में भारतीय हिन्द महासागर में है। आतंकवाद और डकैती भी तनाव को बढ़ाते हैं। इस प्रतिद्वन्द्विता मुकाबलों से अलग चीन और भारत के बीच इस क्षेत्र में प्रमुखता पाने की होड़ भी इस क्षेत्र को रणनीतिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण बनाती है।

हिन्द महासागर क्षेत्र में कुछ प्रमुख चोक प्वाँइन्ट्स निम्नलिखित हैं-

- स्ट्रेट आफ हार्मिन्ज़
- मलक्का और सिंगापुर स्ट्रेट्स
- सुन्दा स्ट्रेट
- लम्बोक स्ट्रेट
- केप आफ गुड होप
- मोज़म्बीक चैनल
- ओमबाय और वेटर स्ट्रेट्स
- बाब-एल-मन्देब

टिप्पणी

पाठगत प्रश्न 9.4

1. समुद्री चोक प्वाँइन्ट क्या होता है?
2. हिन्द महासागर क्षेत्र में किन्हीं दो प्रमुख चोक प्वाँइन्ट्स के नाम लिखिए।

9.3 समुद्री सुरक्षा को एजेंसियाँ और संस्थान

भारत में समुद्री सुरक्षा किसी एक मंत्रालय अथवा विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। यह अनेक मंत्रालयों, विभागों और एजेन्सियों का संयुक्त प्रयास है। भारत में समुद्री मुद्दों का ध्यान रखने वाले चार मंत्रालय निम्नलिखित हैं-

1. रक्षा मंत्रालय
2. गृह मंत्रालय
3. मत्सय पालन मंत्रालय
4. जहाजरानी मंत्रालय
5. अन्य मुख्य हितधारक हैं-
   - विदेश मंत्रालय
   - संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

9.3.1 समुद्री सीमाओं की रक्षा करने वाले बल

हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा करने वाले बलों में भारतीय तट रक्षक, सीमा सुरक्षा बल (रन आफ कच्छ की सुरक्षा सीमा सुरक्षा बल करता है), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल शामिल है। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सभी बड़े बन्दरगाहों की सुरक्षा का ध्यान रखता है। सभी राज्य सरकारें तथा भारत के द्वीपीय क्षेत्र जिनके पास तटीय क्षेत्र हैं-वे निम्नलिखित एजेन्सियों को काम पर लगाते हैं,

1. **बल :**
   - राज्य समुद्री पुलिस
   - राज्य समुद्री गृह रक्षक
   - राज्य की क्षेत्रीय सुरक्षा कमेटियां
   - ज़िले की ज़िला क्षेत्रीय सुरक्षा समितियां
2. **गुप्तचर एजेन्सियाँ**
   - राष्ट्रीय तकनीकी शोध संगठन
   - शोध एवं विश्लेषण शाखा (रॉ)
   - इन्टेलिजेन्स ब्यूरो (गुप्तचर ब्यूरो)

- नैरकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो
- डायरेक्टोरेट आफ रेवेन्यु इन्टेलीजेन्स (राजस्व गुप्तचर निदेशालय)
- रक्षा गुप्तचर एजेन्सी
- नेवी इन्टेलिजेन्स निदेशालय

3. शोध और विकास संगठन

- भारतीय अन्तरिक्ष शोध संगठन (इन्डियन स्पेस रिसर्च आर्गेनाइजेशन)
- रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन
- आन्तरिक सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केन्द्र (एन.सी.ई.टी.आई. एस., आई.आई.टी. मुम्बई)

4. लैण्ड पोर्ट्स अथार्टी आफ इन्डिया, गृह मंत्रालय, भारत सरकार
5. सेन्ट्रल बोर्ड आफ एक्साईज एण्ड कस्ट्मस, वित्त मंत्रालय
6. नेशनल कमेटी फार स्ट्रेन्थनिंग मेरीटाइम एण्ड कोस्टल सिक्योरिटी
7. नेशनल मरीन पुलिस ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट (एम.पी.टी.आई.)
8. सेन्ट्रल मरीन पुलिस फोर्स (योजना)

9.3.2 भारतीय तट रक्षक (Indian Coastal Gaurd)

भारतीय तट रक्षक तटीय और क्षेत्रीय जलाशयों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। इस की विधिवत स्थापना तटीय रक्षा अधिनियम 1978 द्वारा 18 अगस्त 1978 को की गई थी। क्या आपको विशुद्ध आर्थिक क्षेत्र का स्मरण है? भारतीय तट रक्षक भारत के 20 लाख विशुद्ध आर्थिक क्षेत्रों की निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं। भारतीय तट रक्षक तटीय सुरक्षा के लिए केन्द्रीय और राज्य की एजेन्सियों के बीच सकल सहयोग और तालमेल के लिए जिम्मेदार हैं।

1976 के भारतीय समुद्री क्षेत्र अधिनियम के अनुसार भारत के समुद्री क्षेत्रों को पाँच तटीय क्षेत्रों में बाँटा गया है जिनके मुख्यालय नीचे दिए गए हैं-

क्रमांक	क्षेत्र	मुख्यालय
1.	उत्तर-पश्चिम	गांधीनगर
2.	पश्चिम	मुम्बई
3.	पूर्व	चेन्नई
4.	उत्तर-पूर्व	कोलकता
5.	अण्डमान और निकोबार	पोर्ट ब्लेयर

टिप्पणी

इन क्षेत्रों को आगे 12 तट रक्षक जिलों में बाँटा गया है। इनमें प्रत्येक 9 तटीय राज्यों में एक, अण्डमान और निकोबार में दो तथा लक्षद्वीप और मिनिकोय द्वीप में कवारत्ती में एक तट रक्षक जिला बनाया गया।

9.3.3. भारतीय नौ सेना

समुद्री रक्षा को देखने वाली एक अन्य प्रमुख एजेन्सी भारतीय नौ सेना है। भारतीय नौ सेना की नई समुद्री रणनीति संचार के समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर आधारित है। भारत की समुद्री सुरक्षा रणनीति दो प्रमुख पहलुओं का अनुसरण करती है। पहला साधनों में बढ़ोत्तरी तथा खतरों के प्रकार एवं उनकी गम्भीरता। दूसरा भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए समुद्रों को प्रयोग करने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि समुद्र सुरक्षित हों।

9.3.4 अन्तरराष्ट्रीय जहाज और बन्दरगाह सुविधा सुरक्षा कोड (ISPS)

अन्तरराष्ट्रीय जहाज और बन्दरगाह सुविधा सुरक्षा कोड समुद्री जहाजों और बन्दरगाहों की सुविधाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए दिशा-निर्देशों और नियमों का एक व्यापक समूह है।

अन्तरराष्ट्रीय समुद्री संगठन

आई.एम.ओ. (अन्तरराष्ट्रीय समुद्री संगठन) संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेन्सी है। यह सुरक्षा एवं अन्तरराष्ट्रीय जहाजरानी के पर्यावरणीय प्रदर्शन एवं सुरक्षा के अन्तरराष्ट्रीय मानक निश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।

इनको अन्तरराष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा तैयार किया जाता है। 9/11 के बाद समुद्री सुरक्षा और देखभाल के क्षेत्र में कड़े नियम बनाए गए हैं। इस कोड को समुद्रों में जीवन की सुरक्षा के लिए आयोजित अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन में बनाया गया है। इस पर हस्ताक्षर करने वालों की संख्या 148 है। इस कोड का उद्देश्य अन्तरराष्ट्रीय बन्दरगाहों और समुद्री जहाजों के लिए एक मानक ढांचा तैयार करना है। इससे सरकारों को सुरक्षा स्तर में खतरों और भावी खतरों का पूरी क्षमता से मूल्यांकन करने और कोड द्वारा निर्धारित सुरक्षा उपाय करने का मौका मिलता है। भारत ने 2004 में इस कोड को लागू किया और 10 छोटे बन्दरगाह इस कोड के अन्तर्गत काम कर रहे हैं।

पाठगत प्रश्न 9.5

1. 'अन्तरराष्ट्रीय समुद्री संगठन' और 'अन्तरराष्ट्रीय जहाज और बन्दरगाह सुविधा सुरक्षा' का क्या अभिप्राय है।
2. समुद्री सुरक्षा के लिए भारत में काम कर रहे मंत्रालयों और एजेन्सियों के नाम लिखिए।
3. भारतीय तट रक्षक का एक संक्षिप्त विवरण लिखिए।

आपने क्या सीखा

- भारत जैसे देश के लिए समुद्री सुरक्षा बहुत जरुरी है; जो कि तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है।
- रणनीतिक दृष्टि से भारत ने दो बड़े आतंकवादी हमले झेले हैं एक तो मुम्बई ब्लास्ट तथा दूसरा समुद्र के रास्ते से मुम्बई आतंकवादी हमला।
- इसके अतिरिक्त भारत, चीन द्वारा हिन्द महासागर में नौ सैनिक गतिविधियों को बढ़ाने तथा पाकिस्तान द्वारा अवाडार में नौ सैनिक अड्डा बनाने की चुनौती का सामना कर रहा है।
- समुद्र से उत्पन्न होने वाले खतरों में डकैती, आतंकवाद और नशीले पदार्थों का व्यापार भी शामिल है।
- आर्थिक दृष्टि से हिन्द महासागर भारत के लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का अधिकांश व्यापार समुद्र के माध्यम से होता है। अत: संचार के समुद्री मार्गों और तटीय क्षेत्रों, बन्दरगाहों, उद्योगों एवं अन्य सुविधाओं को सुरक्षा प्रदान करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है।
- इस उद्देश्य के लिए भारत ने तट रक्षक, भारतीय नौ सेना और अन्य सैनिक एजेन्सियों तथा संस्थानों की स्थापना की है जो निरन्तर सहयोग और सुरक्षा प्रदान करते हैं।

पाठान्त प्रश्न

1. समुद्री सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? स्पष्ट कीजिए।
2. 'नीली अर्थ व्यवस्था' के महत्व को उजागर कीजिए।
3. समुद्री सुरक्षा में तट रक्षकों और भारतीय नौ सेना की भूमिका का वर्णन कीजिए।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

9.1 1. समुद्री सुरक्षा में सागरों और समुद्रों से पैदा होने वाले खतरों से देश की संप्रभुताओं को बचाना शामिल होता है।

2. समुद्री जहाजों के अवैध आवागमन, प्राकृतिक संसाधनों का अवैध दोहन, संरक्षित क्षेत्र में अवैध गतिविधियाँ तथा समुद्री प्रदूषण

3. अन्तरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा
   - संचार के समुद्री मार्गों का बचाव
   - संप्रभुता, क्षेत्रीय एकता और राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा करना
   - समुद्रों में होने वाले अपराधों से बचाव करना

टिप्पणी

9.2 1. विश्व के देशों द्वारा समुद्री जहाजों से सामान को लाने-ले जाने के लिए समुद्र के प्रयोग को नियमित करने के लिए बने कानून

2. इनमें आन्तरिक जलाशय, क्षेत्रीय समुद्र, सन्निहित क्षेत्र, विशुद्ध आर्थिक क्षेत्र, महाद्वीपीय शेल्फ तथा महासागर सम्मिलित हैं।

3. इर्द-गिर्द के सभी जल मार्गों का विभिन्न उद्देश्यों जैसे समुद्री सतह पर आर्थिक उद्देश्यों के लिए, प्राकृतिक संसाधनों को खोजने के लिए प्रयोग करने पर संप्रभु अधिकार रखना तथा कृत्रिम द्वीपों एवं समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु ढाँचों के प्रयोग पर अधिकार रखना।

4. किनारे से 200 नॉटीकल मील के बाद महासागर शुरु होता है और यह सभी देशों के लिए खुला और निशुल्क होता है। महासागर का प्रयोग करने पर कोई देश कोई कार्यवाही या दखल नहीं दे सकता।

9.3 1. क्योंकि भारत के व्यापार का अनुमानित 95% सागरों के माध्यम से होता है इसलिए समुद्री सुरक्षा भारत के लिए आवश्यक है।

2. तटीय समुदाय के लोगों को उनके आर्थिक और सामाजिक विकास में सहायता प्रदान करने के लिए सागर के संसाधनों का चिरजीवी प्रयोग करने की व्यवस्था को 'नीली अर्थव्यवस्था' कहते हैं।

3. भारत में 12 बड़े बन्दरगाह हैं। उनमें से कुछ के नाम हैं-कोलकता, पैरादीप, विशाखापत्तनम, एन्नोर, चेन्नई और तुतीकोरन।

4. 'सागरमाला' भारत सरकार द्वारा बन्दरगाहों को आधुनिक बनाने तथा तटीय आर्थिक क्षेत्र विकसित करने की एक पहल है। इसमें कौशल विकास के माध्यम से तटीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम, मछली व्यवसाय और तटीय पर्यटन की गतिविधियों से आजीविका पैदा करना शामिल है।

9.4 1. चोक प्वाँइन्ट का अर्थ दो चौड़े और महत्वपूर्ण आवागमन के समुद्री रास्तों के बीच प्राकृतिक संकुलन से है। समुद्री चोक प्वाँइन्ट जहाजरानी के प्राकृतिक रूप से तंग रास्ते को कहते हैं जहाँ उसकी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण यातायात बहुत अधिक होता है।

2. स्ट्रेट आफ मलक्का और स्ट्रेट आफ हार्मज।

9.5 1. अन्तरराष्ट्रीय समुद्री सगंठन तथा अन्तरराष्ट्रीय जहाज आरै बन्दरगाह सुविधा सुरक्षा कोड।

2. रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, मतस्य मंत्रालय और जहाजरानी मंत्रालय। एजेन्सियाँ हैं-राष्ट्रीय तकनीक अनुसंधान संगठन, अनुसंधान और विश्लेषण शाखा, गुप्तचर ब्यूरो, नैरकोटिक्स नियन्त्रण ब्यूरो, राजस्व गुप्तचर निदेशालय

3. भारतीय तट रक्षक तटीय और क्षेत्रीय समुद्रों की रक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। इसका विधिवत गठन तट रक्षक अधिनियम 1978 के अन्तर्गत 18 अगस्त 1978 को किया गया था।